न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 46/2012

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र रामगोपाल
2. बाबूलाल पुत्र रामगोपाल
3. सुन्दरलाल पुत्र लुणाराम
4. सुण्डाराम पुत्र मुरलीधर
5. मंगलचन्द पुत्र मेवाराम
6. अनिता देवी पत्नि सांवरमल
7. आंची देवी पत्नि सोहनलाल

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक–06.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम कालाडेरा में निम्न सारणी अनुसार खातेदारी भूमि स्थित है :–

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	कुल
खसरा नंबर	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	किता 24
रकबा (हैक्टेयर)	0.04	0.05	0.07	0.07	0.02	0.08	0.03	0.05	0.35	0.87	0.36	0.03	0.04	0.18	0.18	0.46	0.64	0.51	0.76	0.07	0.07	0.08	0.13	0.12	5.18 है0

प्रार्थीगण की सारणी वर्णित कुल खसरा किता 24 का कुल रकबा 5.18 हैक्टर के संपूर्ण भाग की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि के चारों ओर अर्से दराज से कच्ची सींव डाल बनाकर बतौर खातेदार काबिज होकर अर्से दराज से हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमियों में से पूर्वी तरफ की भूमि खसरा नम्बर 2008, 2009/3683 व 2009/3943 व 2007/3942 व 2007/3682 की भूमियाँ स्थित है जो विवादग्रस्त हैं। प्रार्थीगण की विवादग्रस्त खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि में बोई गई फसलों को आवारा गायें, जानवर पशु आये दिन नुकसान कारित करते रहते हैं तथा फसलों में घुस कर खडी फसलों को नुकसान पहुंचातें हैं, जिस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि को आवारा गायों, एवं पशुओं से रक्षा करने हेतु पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर तहसीलदार चौमूं के आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 03.06.2005 व आदेश क्रमांक स्मरण पत्र दिनांक 31.05.2010 की पालना में पटवारी हल्का कालाडेरा द्वारा ख0नं0 2008, 2009/3683 व 2009/3943 के पूर्वी दिशा की तरफ की भूमि का दिनांक 26.06.2010 को मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया गया व मौका रिपोर्ट बनाई गई तथा इसी क्रम में मान्य तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश क्रमांक भू.अ./08/85 दिनांक 09.01.2009 के अनुसार पटवारी हल्का कालाडेरा से आराजी खं0 नं0 2007/3942 व 2007/3682 की भी मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा उक्त मौका रिपोर्ट तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट में ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं को नक्शे मौके के साथ मौका रिपोर्ट में दर्शित किया तथा तहसीलदार चौमूं

Scanned by CamScanner

द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु आश्वस्त किया। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2010 के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया एवं पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया, परन्तु तहसीलदार चौमूं द्वारा करीब 2 साल गुजर जाने के बाद भी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं की गई, एवं दिनांक 10.05.2012 को तहसीलदार महोदय, चौमूं ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी करने से साफ इन्कार करते हुये कहा कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश करवाओ, उसके बाद ही पत्थरगढी होगी । प्रार्थना पत्र के अत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पूर्वी तरफ की भूमि खसरा नं 2008, 2009/3683 व 2009/3943 व 2007/3942 व 2007/3682 का पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2010 को तहसीलदार चौमूं के आदेश की पालना में पटवारी द्वारा किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0प बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2010 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.07 13:50:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: